कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/559 / अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020 **बलौदाबाजार, दिनांक 18/04/2020**

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु वर्तमान में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, दिनांक 03 मई, 2020 तक लॉक–डाउन घोषित किया गया है। उक्त अनुक्रम में बलौदाबाजार–भाटापारा जिला अंतर्गत निवासरत, ऐसे पालक जिनके पुत्र/पुत्री कोटा राजस्थान में विद्यार्थी स्वरूप है, उनके संदर्भ में आवश्यक समन्वय हेतु श्री अरविन्द पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर, बलौदाबाजार (मो.नं.76939–22646) को **नोडल अधिकारी** एवं श्री आर.एस. भोई, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, बलौदाबाजार (मो.नं. 96304–01967) को **सहायक नोडल अधिकारी,** नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त के संबंध में कोई भी पालक, व्यक्ति अथवा नागरिक जानकारी देने अथवा आवेदन करने हेतु, उपरोक्त नोडल/सहायक नोडल अधिकारी, के मोवाईल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा उक्त सूचना 24 घण्टे संचालित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07727–223697 पर भी दे सकते हैं।

(जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित)

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

क्रमांक/560/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2020 बलौदाबाजार, दिनांक 18/04/2020

प्रतिलिपि:-

01. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार–भाटापारा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/कसडोल/बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी अधिकारी, कंट्रोल रूम, संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार को सूचनार्थ । उपरोक्त आदेश के संबंध में कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त होने पर नोडल/सहायक नोडल अधिकारी को अवगत करावें।
05. श्री अरविन्द पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर बलौदाबाजार को पालनार्थ प्रेषित। इसके संबंध में दूरभाष अथवा कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली जानकारी को एक्सल शीट में सूचीबद्ध करावें।
06. श्री आर.एस.भोई, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बलौदाबाजार को पालनार्थ प्रेषित। इसके संबंध में दूरभाष अथवा कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली जानकारी को एक्सल शीट में सूचीबद्ध करावें।
07. सहायक संचालक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार –भाटापारा, को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम, प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।
08. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार–भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

Scanned with CamScanner